

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक 8(1)राज/वाद/09

जयपुर दिनांक. 10-1-17

अधिसूचना

विधि एवं विधिक कार्य विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.2(5)न्याय/2012 दिनांक 08.12.16 द्वारा अपनी पूर्व अधिसूचना दिनांक 28.01.13 का अधिकमण करते हुए लैंगिक अपराधों से बालकों का सरक्षण अधिनियम, 2012 (सन् 2012 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 32) की धारा 28 तथा कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाईल्ड राईट्स एक्ट, 2005 (सन् 2006 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 6) की धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, माननीय मुख्य न्यायाधिपति, राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श उपरान्त उक्त अधिनियमों के अधीन दण्डनीय अपराधों के विचारण हेतु उक्त अधिसूचना दिनांक 08.12.16 के कालम सं 2 में अंकित न्यायालयों को उनके नाम के आगे अंकित क्षेत्राधिकारिता के लिये विशिष्ट न्यायालय विनिर्दिष्ट किया गया है।

अतः विधि एवं विधिक कार्य विभाग की उक्त अधिसूचना क्रमांक प.2(5)न्याय/2012 दिनांक 08.12.16 के क्रम में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 15.04.13 का अधिकमण किया जाकर लैंगिक अपराधों से बालकों का सरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 32 तथा कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाईल्ड राईट्स एक्ट 2005 की धारा 26 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस अधिसूचना के कालम सं 2 में उल्लेखित विशेष न्यायालयों में अभियोजन की ओर से पैरवी करने हेतु कालम सं 4 में अंकित विशिष्ट लोक अभियोजक/लोक अभियोजक/अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषकगण को विशिष्ट लोक अभियोजक की शक्तियाँ एतदद्वारा प्रदत्त की जाती हैं:-

क्रमांक	न्यायालय का नाम	क्षेत्राधिकार	अभियोजकगण का पद नाम
1	2	3	4
1	विशिष्ट न्यायालय, अनु. जाति / जनजाति (अत्याचार निवारण प्रकरण) अजमेर	अजमेर जिला	विशिष्ट लोक अभियोजक (अनु. जाति / जनजाति अत्याचार निवारण प्रकरण) अजमेर
2	विशिष्ट न्यायालय, अनु. जाति / जनजाति (अत्याचार निवारण प्रकरण) अलवर	अलवर जिला	विशिष्ट लोक अभियोजक (अनु. जाति / जनजाति अत्याचार निवारण प्रकरण) अलवर
3	विशिष्ट न्यायालय, अनु. जाति / जनजाति (अत्याचार निवारण प्रकरण) बाढ़मेर	बाढ़मेर जिला	विशिष्ट लोक अभियोजक (अनु. जाति / जनजाति अत्याचार निवारण प्रकरण) बाढ़मेर
4	विशिष्ट न्यायालय, अनु. जाति / जनजाति (अत्याचार निवारण प्रकरण) बांरा	बांरा जिला	विशिष्ट लोक अभियोजक (अनु. जाति / जनजाति अत्याचार निवारण प्रकरण) बांरा
5	अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बांसवाडा	बांसवाडा जिला	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, बांसवाडा
6	विशिष्ट न्यायालय, अनु. जाति / जनजाति (अत्याचार निवारण प्रकरण) भरतपुर	भरतपुर जिला	विशिष्ट लोक अभियोजक (अनु. जाति / जनजाति अत्याचार निवारण प्रकरण) भरतपुर

27	विशिष्ट न्यायालय, अनु. जाति / जनजाति (अत्याचार निवारण प्रकरण) मेडता	नागौर जिला	विशिष्ट लोक अभियोजक (अनु. जाति / जनजाति अत्याचार निवारण प्रकरण) मेडता
28	विशिष्ट न्यायालय, अनु. जाति / जनजाति (अत्याचार निवारण प्रकरण) पाली	पाली जिला	विशिष्ट लोक अभियोजक (अनु. जाति / जनजाति अत्याचार निवारण प्रकरण) पाली
29	विशिष्ट न्यायालय, अनु. जाति / जनजाति (अत्याचार निवारण प्रकरण) प्रतापगढ़	प्रतापगढ़ जिला	विशिष्ट लोक अभियोजक (अनु. जाति / जनजाति अत्याचार निवारण प्रकरण) प्रतापगढ़
30	अपर जिला एंव सेशन न्यायाधीश, राजसमंद	राजसमंद जिला	अपर लोक अभियोजक एंव राजकीय अभिभाषक, राजसमंद
31	विशिष्ट न्यायालय, अनु. जाति / जनजाति (अत्याचार निवारण प्रकरण) सवाई माधोपुर	सवाई माधोपुर जिला	विशिष्ट लोक अभियोजक (अनु. जाति / जनजाति अत्याचार निवारण प्रकरण) सवाई माधोपुर
32	अपर जिला एंव सेशन न्यायाधीश सं02, सीकर	सीकर जिला	अपर लोक अभियोजक सं0 2, सीकर
33	विशिष्ट न्यायालय, अनु. जाति / जनजाति (अत्याचार निवारण प्रकरण) सिरोही	सिरोही जिला	विशिष्ट लोक अभियोजक (अनु. जाति / जनजाति अत्याचार निवारण प्रकरण) सिरोही
34	विशिष्ट न्यायालय, अनु. जाति / जनजाति (अत्याचार निवारण प्रकरण) टौक	टौक जिला	विशिष्ट लोक अभियोजक (अनु. जाति / जनजाति अत्याचार निवारण प्रकरण) टौक
35	विशिष्ट न्यायालय, अनु. जाति / जनजाति (अत्याचार निवारण प्रकरण) उदयपुर	उदयपुर जिला	विशिष्ट लोक अभियोजक (अनु. जाति / जनजाति अत्याचार निवारण प्रकरण) उदयपुर

राज्यपाल की आज्ञा से,

८
१८/४/१३

(मनोज कुमार व्यास)
प्रमुख शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल / सचिव माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार।
- मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव, विधि।
- शासन सचिव, महिला एंव बाल विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
- रजिस्ट्रार (प्रशासन) राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर बैंच, जयपुर।
- समस्त जिला कलक्टर / जिला एंव सेशन न्यायाधीश / पुलिस अधीक्षक।
- संबंधित न्यायालय।
- महानिदेशक, आरक्षी / जेल राजस्थान सरकार, जयपुर।
- निदेशक, अभियोजन, शासन सचिवालय, जयपुर।
- निदेशक सूचना एंव जन सम्पर्क विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- निदेशक, मुद्रण एंव लेखन सामग्री विभाग राजस्थान, जयपुर को राजपत्र के विशेषांक में प्रकाशनार्थ।
- संबंधित विशिष्ट लोक अभियोजक / लोक अभियोजक / अपर लोक अभियोजकगण,
राजस्थान।
- प्रोग्रामर विधि विभाग।
- रक्षित पत्रावली।

२२/१०.१.१७

(अनूप कुमार सक्सैना)
शासन सचिव, विधि